क्रम संख्या	स्थान
28.	बबीना
29.	कानपुर (2 वितरणशिप)
30.	आगरा (2 वितरणशिप)
31.	बदायूं
32.	ककराला
33.	टांडा
34.	जबलपुर
35.	अकबरपुर
36.	औराई
37.	शामली
38.	बागपत
39.	वाराणसी (2 वितरणशिप)
40.	रुड़की
41.	मेरठ
42.	नौएडा
43.	राय बरेली
44.	चंदौसी
45.	मुरादाबाद
46.	बरेली
47.	कालपी

विकलांगों तथा विधवाओं को गैस एजेंसियों का आवंटन

123. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश व बिहार में गैस एजेंसियों के आवंटनार्थ विकलांगों तथा विधवाओं से क्रमशः इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उक्त आवेदनों के आधार पर ऊपर लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को कितनी गैस एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं तथा आवेदनों को रद्द किया गया है; और

(ग) इन आवेदनों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) डीलरशिप चयन दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग तथा रक्षा श्रेणी, प्रत्येक के लिए 7.5 प्रतिशत की व्यवस्था है । शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथसाथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

"शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति/ ड्यूटी पर विकलांग होने वाले सरकारी कार्मिक (रक्षा कार्मिकों को छोड़कर)/ सरकारी कार्मिक जो ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं उनकी पत्नियां (रक्षा व्यक्तियों को छोड़कर) "

विधवाओं के संबंध में उपर्युक्त विवरण के अधीन पात्र महिलाओं को छोड़कर, रक्षा श्रेणी में निम्नलिखित भी पात्र हैं :-

"रक्षा कार्मिकों जिनके पति/अभिभावक युद्ध या शान्ति के दौरान सेना की ड्यूटी में मारे गए हों । उनकी विधवाएं और मातृहीन आश्रित ।"

उपर्युक्त से पता चलता है कि केवल "शारीरिक रूप से विकलांग" व्यक्तियों या केवल विधवाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और विधवाएं जो उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र है वे केवल उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वतंत्रता सेनानी तथा ओपन श्रेणी में एल पी जी वितरणशिपों के लिए आवेदन दे सकते है । इस बात को देखते हुए कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के द्वारा विज्ञापित विभिन्न श्रेणीयों में एल पी जी वितरणशिपों की संख्या बहुत अधिक

है तथा एक विज्ञापन के संदर्भ में अनेक आवेदन आते हैं इसलिए इस जानकारी के परिकलन में लगने वाले प्रयास पूछे गए उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) तेल चयन बोर्डों में प्रत्येक का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश होता है उनके द्वारा वितरकों का चयन उम्मीदवारों की उपयुक्तता तथा तुलनात्मक गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः चयन बोर्ड द्वारा गुण-दोष के आधार पर 3 उम्मीदवारो का पैनल बनाया जाता है ·

एल पी जी सिलेण्डरों के वितरण और भरे जाने से संबंधित दिशा निर्देश

124. **श्री रशीद मसूद :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल पी जी सिलेण्डरों के वितरण तथा भरे जाने से संबंधित जो दिशा निर्देश महानगरों में नियुक्त गैस वितरण एजेंसियों को लागू होते हैं वही छोटे शहरों तथा नगरों में गैस वितरण एजेंसियों पर भी लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के छोटे शहरों जैसे सहारनपुर जिला में, गैस वितरक दिशानिर्देशों को पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं तथा वे उपभोक्ताओं को एल पी जी सिलेण्डरों की सप्लाई करने में एक महीना लगाते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस संबंध में असंख्य शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) एल पी जी की बल्क उपलब्धता में कमी आने के अतिरिक्त आवागमन, औद्योगिक संबंधों तथा अन्य परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण सहारनपुर सहित देश के अनेक भागों में अस्थायी रूप से एल पी जी रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग उत्पन्न हो गया था। देश में एल पी जी के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा यथा सम्भव आयात के द्वारा भी सप्लाई को भी बढ़ाया जा रहा है। स्थिति पर तेल उद्योग द्वारा सूक्ष्म नजर रखी जा रही हैं ताकि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से एल पी जी सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(ग) एल पी जी के वितरकों के बारे में तेल कम्पनियों को प्राप्त शिकायतों की यथावश्यक तत्काल जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार दोषी एल पी जी वितरकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है जो चेतावनी पत्र जारी करने से लेकर कुछ मामलों में वितरण शिप को समाप्त कर देने तक की हो सकती है।

Project matching the Bombay High Seas Project

125. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government has undertaken any major project matching the "Bombay High Seas Project"; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative what are the potentials of such projects and success achieved by Government in these projects?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) and (b) No project of the size of Bombay High Development has been taken up so far.